

I/288690/2023

संख्या- 06 /2023/ 77-3002(003)/6/2022/001-383

प्रेषक,

मनोज कुमार मौर्य,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड परियोजना में उपलब्ध धनराशि की मांग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 2401/यूपीडा/बुन्देलखण्ड/2023 दिनांक 27.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड परियोजना में अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य- 03 आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे परियोजना का सुदृढीकरण 24-वृहद निर्माण कार्य" हेतु कुल ₹0 52224.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

2 . अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सी०आर०आर०आई० के रोड सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के संस्तुत कार्यों हेतु धनराशि ₹0 100.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु सी०आर०आर०आई० के सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट के संस्तुत कार्यों जिसमें एक्सप्रेसवे के दोनों ओर मेन कैरेज-वे पर वेल्ड्ड मैसफेन्सिंग का कार्य, एक्सप्रेसवे पर जानवरों का प्रवेश रोकने के लिए इन्टर

I/288690/2023

चेंज के प्रवेश व निकास रैम्प पर कैटल कैचर लगाने का कार्य, एकसप्रेसवे के मीडियन पर इलेक्ट्रिक पोलों को सुरक्षित करने हेतु दोनों तरफ मीडियन के सामान्तर एम0बी0सी0बी0 लगाने का कार्य तथा एकसप्रेसवे के किमी0 291 व किमी0 21 (आर0एच0एस0 एवं एल0एचएस0) में टोल प्लाजा के समीप टॉयलेट ब्लॉक एवं कैन्टीन निर्माण के कार्य आदि किये जाने हेतु धनराशि रु0 70.00 करोड़ की मांग की गयी है।

3 . इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एकसप्रेसवे ग्रीन फील्ड परियोजना में अनुदान संख्या- 07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य- 03 आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एकसप्रेसवे परियोजना का सुदृढीकरण 24-वृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत रु0 52224.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 14/2022/001-480-7-3-2022 दिनांक 22.04.2022 द्वारा रु0 10000.00 लाख एवं शासनादेश संख्या- 29/2022/77-3022(003)/6/2022/001-1132 दिनांक 25.07.2022 द्वारा रु0 10000.00 लाख एवं शासनादेश संख्या- 2022/77-3002(003)/6/2022/001-1754 दिनांक 02.12.2022 द्वारा रु0 10000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। सम्प्रति निर्गत किये जाने हेतु धनराशि रु0 22254.00 लाख अवशेष है। उक्त प्राविधानित अवशेष धनराशि रु0 22254.00 लाख के सापेक्ष रु0 70,00,00,000/- (रुपये सत्तर करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते में जमा की जायेगी।
- (2) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (3) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।
- (4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं- 15/2021/ बी- 1-829/ दस- 2021-231/2022 दिनांक 30.12.2021, वित्त

I/288690/2023

(आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/ बी- 1-224/ दस- 2022- 231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 एवं शासनादेश सं 0-13/2022/ बी- 1-454/ दस- 2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 में द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 70,00,00,000 (रुपये सत्तर करोड़ मात्र) के चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 0 0 7 लेखा शीर्षक 5054033370300 आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे परियोजना का सुदृढीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by मनोज कुमार
मौर्य

भवदीय,

Date: 16-03-2023 20:11:07 (मनोज कुमार मौर्य),
Reason: Approved

उप सचिव,

संख्या- 06 /2023/ 77-3002(003)/6/2022/001-383, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।

I/288690/2023

9. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार मौर्य),

उप सचिव,